न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 45 / 2026(GCMS 2026/113)

(RTI No. 212563452240408)

अंगेज सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी चक 3 ई छोटी, नजदीक बीएसएफ मुख्यालय, गली नं. 09, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 99281—57888)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा,)

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अंग्रेज सिंह स्वयं उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), श्रीगंगानगर को आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2026 से प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, मात्र औपचारिकतायें पूरी करने के लिए जवाब भिजवाया गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित सूचना दिये जाने का प्रावधान है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने एवं धारा 20 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अंग्रेज सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2026 से अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

1. आवेदक द्वारा पेश शिकायत पत्र दिनांक 16.02.2026 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) को सौंपे गये पत्र पर अब तक की समस्त कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्रदान करें।
2. उक्त शिकायत पत्र में मेरे द्वारा किये गये अनुरोध पर जेल डिस्पेंसरी के उपचार रजिस्टर, गेट बुक और सी.सी. टीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर सुरक्षित किया गया है, तो उसके रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवायें
3. यदि जांच पूरी हो चुकी है तो जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।
4. इस शिकायत पत्र के आधार पर किन—किन अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। उनका विवरण के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ17(1)(2)न्याय(आरटीआई) / 2026 / 3336 दिनांक 06.05.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपील लोक सूचना अधिकारी अधि. सं. 45 / 2026 अंग्रेज सिंह बनाम प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर तारीख पेशी दिनांक 19.05.2026 प्रासंगिक पत्र के माध्यम से इस अनुभाग को प्राप्त हुई है।

उक्त सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील के क्रम में निवेदन है कि :

1. अपीलार्थी / प्रार्थी के उक्त अधिनियम के तहत पूर्व में प्राप्त आवेदन में वांछित सूचना के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्याक पत्रांक 2530–2531 एवं राजकाज रेफरेंस नं.0 21493233 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से प्रत्युत्तर अपीलार्थी / प्रार्थी को पूर्व में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि (संलग्न) सुलभ संदर्भ हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी / प्रार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 04 में वांछित सूचना के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (इस कार्यालय को रिसिप्ट संख्या 654 दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से प्राप्त) इस कार्यालय के मूल पत्रांक एफ17(1)( )न्याय / 2025 / 1162–1163 दिनाक 20.02.2026 द्वारा मूल ही श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर (प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को देते हुए) को प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित है, जो कि सुलभ संदर्भ हेतु अपीलार्थी / प्रार्थी को बिना प्रमाणित किये प्रेषित की गयी थी।
3. इस कार्यालय के समसंख्यक पंत्राक 2530–2531 एवं राजकाज रेफरेंस नं. 21493233 दिनांक 08.04.2026 में लिपिकीय त्रुटि के कारण सहवन से "सूचना का अधिकार अधिनियम 2025" का अंकन हुआ था, जिसे "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" पढा जावे।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 45 / 2026
(GCMS No. 2026/113)
(GCMS No. : 212563452240408)
अंग्रेज सिंह बनाम प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की सूचना का सम्बन्ध उनसे न होने के कारण, प्रार्थी का मूल प्रार्थना अपने पत्रांक एफ17(1)( )न्याय /2025/1162–1163 दिनाक 20.02.2026 से **जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया था।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर